

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 22nd February, 2010

**No. F. 10(1067)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/
10582.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that

M/s. Gateway Rail Freight Limited, 17, Ahluwalia Chambers, GF, LSC, Pushp Vihar, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.15,000 (Rs. Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,50,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 20,00,00,001 to 20,15,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 23 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (1078)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10601.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स प्योरार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., विक्रान्त टावर, 4, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,80,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7,70,00,001 से 10,78,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,08,000 (रुपये तीन लाख आठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 23rd February, 2010

No. F. 10(1078)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10601.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purearth Infrastructure Limited, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3,08,000 (Rs. Three Lac Eight Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,80,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 7,70,00,001 to 10,78,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1035)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10613.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स क्विपो ऐनर्जी प्रा. लि., डी-2, साउदर्न पार्क, पांचवी मंजिल, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,900 (रुपये नौ हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1035)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10613.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E)

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Quippo Energy Private Limited, D-2, Southern Park, 5th Floor, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,900 (Rs. Nine Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 10,001 to 10,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 24 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (783)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10638.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अपोलो म्युनीख हेल्थ इन्ड्योरेन्स कम्पनी लि., पहली मंजिल, बी.के. राय कोर्ट, 6 और 7, आसफअली रोड, नई दिल्ली-110002, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख) जो कि उनके द्वारा फरवरी, 2010 से सितम्बर, 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

Delhi, the 24th February, 2010

No. F. 10(783)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10638.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apollo Munich Health Insurance Company Limited, 1st Floor, B. K. Roy Court, 6 & 7, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,00,000 (Rs. four Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period February, 2010 to September, 2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period of after consumption of above amount.

सं. फा. 10 (1092)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10643.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बंसल क्रेडिटस लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले

रुपये 12,58,000 मूल्य के सेक्योरिड, रिडिमेबल, नन-कनवरटीबल डिबेन्चर (सीरीज क्यू) जिनकी पृथक संख्या 01,32,057 से 01,33,314 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1258 (रुपये एक हजार दौ सौ अटठावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1092)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10643.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,258 (Rs. One Thousand Two Hundred Fifty Eight) only on the aggregate value of debentures of Rs. 12,58,000 for issue of Secured redeemable Non Convertible debentures Series 'Q' bearing distinctive No. 01,32,057 to 01,33,314 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1097)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10644.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स जी एण्ड टी आयलफिल्ड एण्ड ओफशोर सर्विसेज प्रा. लि., एफ-4 एण्ड 5, त्रिवेणी कमर्शियल कम्प्लेक्स, शेख सराय, फेस-1, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,22,35,440 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 72,50,001 से 84,73,544 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 12,236 (रुपये बारह हजार दौ सौ छत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1097)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10644.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. G & T Oilfield and Offshore Services Private Limited, F-4 & 5, Triveni Commercial Complex, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,236 (Rs. Twelve Thousand Two Hundred Thirty Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,22,35,440 for equity share certificates with Distinctive Nos. 72,50,001 to 84,73,544 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1102)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10645.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स वेलमेक इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि., ए-28,

मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,43,823 से 5,48,822 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500 (रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1102)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10645.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wellmake Engineering Company Private Limited, A-28, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for equity share certificates with Distinctive Nos. 5,43,823 to 5,48,822 to be issued by the said company.

दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (1100)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10650.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स डालकिया इंडिया प्रा. लि., बी-1, मार्बल आर्क, 9, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,44,97,970 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 07740803 से 12,19,05,99 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 44,498 (रुपये चवालीस हजार चार सौ अटठानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

Delhi, the 25th February, 2010

No. F. 10(1100)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10650.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dalkia India Private Limited, B-1, Marble Arch, 9 Prithviraj Road, New Delhi-110011 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 44,498 (Rs. Forty Four Thousand Four Hundred Ninety Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,44,97,970 for equity share certificates with Distinctive Nos. 07740803 to 12190599 to be issued by the said company.

By Order
Of Chief Controlling Revenue Authority,
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)